न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1610–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–01–2013 पारित द्वारा तहसीलदार हनुमना, जिला–रीवा के प्रकरण कमांक 13/अ–3/2012–13

.....

1– उमेश प्रताप सिंह
2– भूपेन्द्र सिंह
3– जितेन्द्र सिंह, पुत्रगण श्री लालमणि सिंह
निवासीगण–ग्राम गहवरा, तहसील–हनुमना
जिला–रीवा(म0प्र0)

------ आवेदकगण

विरूद्ध

संतोष कुमार सिंह तनय श्री यज्ञनारायण सिंह
निवासीगण–ग्राम गहवरा, तहसील–हनुमना
जिला–रीवा(म0प्र0)

------ अनावेदक

.....

श्री विजय द्विवेदी, अभिभाषक आवेदकगण
श्री अशोक तिवारी, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/8/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत तहसीलदार हनुमना, जिला–रीवा के आदेश दिनांक 10–01–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक संतोष सिंह ने तहसीलदार हनुमना के समक्ष भूमि रकबा क्रमांक 55/3 रकबा 0.04 एकड़ स्थित ग्राम गहवरा की भूमि का नक्शा तर्मीम किये जाने बावत आवेदन पेश किया गया । तहसीलदार ने प्रकरण 13/अ–3/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2013 से नक्शा तर्मीम के आदेश देकर नक्शा सुधार के आदेश दिये। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया एवं अधीनस्थ के अभिलेखों का अवलोकन किया । अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष विक्रय–पत्र के आधार पर भूमि सर्वे क्रमांक 55/3 रकबा 0.04 एकड़ नक्शा तर्मीम हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर तहसीलदार ने प्रकरण पंजीबद्ध कर राजस्व निरीक्षक हनुमना द्वारा तर्मीम प्रस्ताव देने के निर्देश दिये। राजस्व निरीक्षक द्वारा बिना सरहदी काश्तकारों को सूचना जारी किये नक्शा तरमीम की कार्यवाही कर प्रतिवेदन तहसीलदार के समक्ष पेश किया जिसे तहसीलदार ने पुष्टि कर दी गई है। आवेदक उमेश प्रताप के उक्त सूचना पत्र में हस्ताक्षर नहीं है, न ही भूपेन्द्र सिंह और जितेन्द्र सिंह को सूचना प्रदान की गई है। स्थल पंचनामा पर आवेदकगण द्वारा हस्ताक्षर करने में उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से इंकार करने की टीप अंकित की है। आवेदकगण का यह तर्क मान्य किये जाने योग्य है कि बिना सुनवाई एवं सूचना के नक्शा तर्मीम की गई है। उनका मुख्य रूप से यह भी तर्क है कि नक्शा तर्मीम की कार्यवाही पूर्व में हुये नक्शा तर्मीम की कार्यवाही के विपरीत है। प्रकरण में संलग्न तहसीलदार हनुमना के प्रकरण क्रमांक 9/अ–3/2000–01 में पारित आदेश दिनांक 02.08.2001 की छायाप्रति संलग्न है, जिसमें पूर्व में नक्शा तर्मीम स्वीकृत किया गया था । तहसीलदार द्वारा जो नक्शा तर्मीम की कार्यवाही की गई है वह बिना सरहदी काश्तकारों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये, की गई तथा पूर्व में हुये नक्शा तर्मीम से भिन्न प्रतीत होती है। अतः प्रकरण तहसीलदार हनुमना को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि प्रश्नाधीन प्रकरण में सरहदी काश्तकार को विधिवत सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुय नक्शा तर्मीम की कार्यवाही सम्पन्न करें।

(एस0एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर